न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 68/2017

पारसमल पिता देवी जरिये अध्यक्ष माधुलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा बनाम (1) बालू पिता सोदा जाति बैरागी (2) भैरू पिता उदा बैरवा (3) बालू पिता देबा कुम्हार निवासी कल्याणपुरा त0 माण्डलगढ

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :–

दिनांक–19/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री माधुलाल धाकड ने जरिये अभिभ
श्री गिरधारी लाल शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/सं
खाते की भूमि ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 कल्याणपुरा तह0 माण्डलगढ मे आराजी
335, 337, 338, 340, 341, 342,
किता 6 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन र
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अत:पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्र
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी वादग्र
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने ब
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही प
है।

अत: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जा
ग्राम कल्याणपुरा की आराजी न0– 335, 337, 338, 340, 341, 342
रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा 14 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये ज
के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता
कमीशनर फीस 300/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसील
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

अमित
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ